



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250467  
CG-DL-E-07122023-250467

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945

No. 811]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2023

**संदर्भ: HQ-PUB-BIS (721 A).**—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

- 1) **संदर्भ: HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (480)** दिनांक 26 दिसम्बर 2022 (प्रकाशित दिनांक 6 जनवरी 2023)  
अनुसूची के क्रम संख्या 1, कॉलम (5) में — '23 जून 2023' को '23 मार्च 2024' से प्रतिस्थापित करें।

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./593/2023-24]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS****(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20 November 2023

**Ref: HQ-PUB-BIS (721 A).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

**1) Ref no. HQ-PUB012/4/2020-PUB-BIS (480) dated 26 December 2022 (Published on 06 January 2023)**

SI No. 01, column (5) of schedule — Substitute '23 March 2024' for '23 June 2023'.

P. RAJESH, Scientist F &amp; DDG (ITS, PRT &amp; TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./593/2023-24]